

उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) अनुभाग-9  
संख्या-401/छ:-पु0-9-21-20(10)(1)/84  
लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2021

अधिसूचना  
(शक्ति)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम सं०-2, सन् 1974) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय, उ० प्र० में तैनात निम्नलिखित पद धारकों को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे और उन्हें ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक को प्रदत्त की जा सकती हैं, जिनका प्रयोग उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर किया जायेगा:-

- 1- निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अधिसूचना, उ० प्र०।
- 2- अपर निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अधिसूचना, उ० प्र०।
- 3- अपर निदेशक(विधि), राजस्व व विशिष्ट अधिसूचना, उ० प्र०।
- 4- समस्त उप निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अधिसूचना, उ० प्र०।

आज्ञा से

भगवान स्वरूप,

सचिव

संख्या-401(2)/छ:-पु0-9-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को दिनांक: फरवरी, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4, खण्ड-"ख" में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 10 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(विश्वजीत सिंह)

अनु सचिव।

संख्या-401(2)/छ:-पु0-9-2021, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
- (2) पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० लखनऊ।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त विभाग/ अनुभाग, उ० प्र० सचिवालय, लखनऊ।
- (7) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (8) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय, उ० प्र० सचिवालय।
- (9) सम्बन्धित अधिकारी(द्वारा निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय, उ० प्र० सचिवालय)।
- (10) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।
- (11) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(विश्वजीत सिंह)

अनु सचिव।